

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)

डाकघर - आर0एफ0आर0सी0, मण्डला रोड, जबलपुर

TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE

(Indian Council of Forestry Research & Education)

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment & Forests, Govt. of India)

P.O. - R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur - 482 021

कमांक 1-1-73/97-part-ix/स्था/उवअसं/ 3095

दिनांक 28-01-2013

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी आदेशों को अधिकमण (Supersession) करते हुए श्री पी0 सुब्रम्यणयम, भा0व0से0, वन संरक्षक को संस्थान में कार्यग्रहण करने के उपरान्त संस्थान के वन संवर्धन प्रभाग का प्रभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख नियुक्त करते हुए आगामी आदेशों तक के लिए पदस्थ किया जाता है।

सचिव, भा0वा0अ0शि0प0, देहरादून के पत्र कमांक 32-20/2011-भा0वा0अ0शि0प0, दिनांक 04-12-2013 के संदर्भ में निदेशक, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र, छिन्दवाडा का अतिरिक्त भार भी सौंपा जाता है।

इस कार्य हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। यह आदेश निदेशक महोदय की स्वीकृति उपरांत जारी किया जा रहा है।

Currys am
28/1/13

अवर सचिव

उ0व0अ0सं0, जबलपुर

प्रतिलिपि:-

1. श्री पी0 सुब्रम्यणयम, भा0व0से0, वन संरक्षक, उवअसं, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप प्रभागाध्यक्ष, वन संवर्धन प्रभाग का कार्यभार डॉ0 मैत्री कुण्डू, वैज्ञानिक-ई0 से से प्राप्त कर कार्यालय को सूचित करेंगे।
2. डॉ0 मैत्री कुण्डू, वैज्ञानिक-ई0 को सूचनार्थ। आप प्रभागाध्यक्ष, वन संवर्धन प्रभाग का कार्यभार श्री पी0 सुब्रम्यणयम को सौंपकर कार्यालय को सूचित करें।
3. निदेशक, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र, छिन्दवाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे श्री पी0 सुब्रम्यणयम, भा0व0से0 वन संरक्षक को प्रभार सौंपकर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. समूह समन्वयक (अनु0)/समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी, उवअसं, जबलपुर को सूचनार्थ।
5. निदेशक के वैयक्तिक सहायक, उवअसं, जबलपुर को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग, उवअसं, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उ0व0अ0सं0, जबलपुर को सूचनार्थ। श्री पी0 सुब्रम्यणयम, भा0व0से0, वन संरक्षक की एल0पी0सी0 तथा फार्म 16 मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
8. गार्ड फाइल।